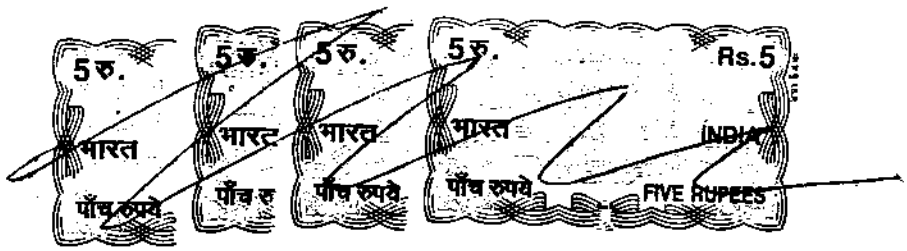

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रु | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प, भोपाल(म०प्र०)

R-594-III/16 निगरानी क्रमांक

पदमसिंह आत्मज श्री अर्जुनसिंह अहिरवार, पेशा काश्तकार तहसील निवासी ग्राम कांकरोद, तहसील पचोर जिला राजगढ़ म०प्र० ---------- निगरानकर्ता

विरुद्ध

१- म०प्र० शासन,

२- अमरसिंह आ० श्री भेरावी जाति बलाई,
निवासी ग्राम कमोरी, वर्तमान कोटवार तहसील,
तहसील पचोर जिला राजगढ़ (म०प्र०) ---गैरनिगरानकर्ता

(54)

राधेश्याम अहिरवार अधिवक्ता द्वारा आज 25/1/16 को प्रस्तुत।

25/1/16
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ द्वारा पारित आदेश न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक ३३/अपील/२०१४-१५ पारित आदेश दिनांक ३०-११- २०१५ प्रकरण पदमसिंह विरुद्ध म०प्र० शासन टप्पा तहसील, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ के मामले से दुःखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष कानून के ठोस तथ्यों व आधारों पर निगरान प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 594–तीन / 16 जिला राजगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 30–11–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् विस्तृत जॉच की जाकर आवेदक का शासकीय भूमि पर बलपूर्वक कब्जा किया जाकर अवैध निर्माण किया जाना तथा सार्वजनिक रास्ता रोका जाना प्रमाणित पाया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	